छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर – 490021

दूरभाष क्र. –0771–4073555 फैक्सः 4073553

Suo Motu Petition No. 07 of 2009(M)

Executive Engineer City Division (East) - 1

Chhattisgarh State Electricity Power Distribution Co. Ltd., Bilaspur .... Respondents

आदेश
(पारित दिनांक 31.03.09)

अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 73 दिनांक 28/01/09 से आयोग को यह जानकारी प्राप्त हुई कि फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक एल टी 72 दिनांक 03/06/08 में दिनांक 30/06/08 को पारित आदेश क्रमांक 93 का पालन कार्यपालन अभियंता, नगर सम्भाग (पूर्व)–1, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पॉवर वितरण कम्पनी लिमिटेड (आगे वितरण कम्पनी), बिलासपुर द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए आयोग द्वारा एक स्व–प्रेरित याचिका क्रमांक 07/2009 (एम) पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 93 दिनांक 30/06/08 के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः श्री रामशरण तिवारी, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, सिरगिटटी, बिलासपुर द्वारा वितरण कम्पनी (पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल) (अनावेदक) से दिनांक 09/09/96 को 34 अश्व शक्ति का एक विद्युत कनेक्शन लिया गया, जो कि सिर्फ लगभग आठ माह ही उपयोग किया गया। तत्पश्चात विद्युत बिल के भुगतान नहीं किये जाने के कारण उक्त कनेक्शन दिनांक 25/08/97 को विच्छेदित कर दिया गया। चूँकि, उक्त कनेक्शन का अनुबन्ध काल दो वर्ष का था, अतः उपभोक्ता से शेष अनुबन्ध काल 16 माह की न्यूनतम राशि बिल की गई, जिसके विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा फोरम, बिलासपुर में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। फोरम, बिलासपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30/06/08 में निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता को माह जून 97 के पश्चात शेष काल की बिलिंग परिपत्र क्रमांक 6175 दिनांक 29/11/94 के अनुसार किया जावे। चूँकि अनुबन्ध के शेष काल में मीटर निकाल लिया गया था अतः मीटर किराया वसूल नहीं किया जावे। उपरोक्त आदेश के पालन हेतु 15 दिवस का समय निर्धारित किया गया परन्तु अनावेदक द्वारा इसके क्रियान्वयन की सूचना व जानकारी फोरम को नहीं दी गई थी।

(2) अनावदेक द्वारा प्रस्तुत जबाव क्रमांक 6135 दिनांक 28/02/09 एवं दिनांक 28/03/09 को प्रकरण के सुनवाई के समय प्रस्तुत तथ्य के अनुसार उनके द्वारा फोरम के आदेश प्राप्त होते ही उपभोक्ता को निर्धारित राशि वापस करने हेतु प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ लेखाधिकारी, बिलासपुर को प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा बाद में रसीद की मूल प्रति जमा करने में असमर्थ रहने के कारण भुगतान विवरण सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रेषित किया गया, एवं धनादेश क्रमांक 64166 दिनांक

28/02/09 को उपभोक्ता को भुगतान प्रदान कर दिया गया। अनावेदक द्वारा भुगतान में हुए विलम्ब के लिए क्षमायाचना भी की गई।

(3) अनावेदक द्वारा समय पर की गई कार्यवाही एवं प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ लेखाधिकारी, बिलासपुर कार्यालय में लगने वाले समय को दृष्टिगत करते हुए आयोग इस निर्णय पर पहुँचा है कि अनावेदक द्वारा इस प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं अनावेदक का जानबुझकर या लापरवाही पूर्ण कोई कृत्य दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः आयोग प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने का आदेश देता है।

हस्ता./–
सदस्य

हस्ता./–
अध्यक्ष